अनीता आदि - इब्राहिम आदि मु.नं. 77/2014

दिनांक	आज्ञा पत्र	
16.8.24	पत्रावली पेश। वकील उभय पक्ष उप./ वास्ते बहस दिनांक 23.8.24 को पेश हो।	भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
23.8.24	पत्रावली पेश। वकील उभय पक्ष उप. वास्ते बहस दिनांक 4.9.24 को पेश हो। भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर	
4.9.24	पत्रावली पेश। बहस उभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 12.9.24 को पेश हो। भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर	
12/9/24	पत्रावील पेश । अपील अपीलांट खारिज की जाती है। निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो। भू-प्रबन्ध अधि... पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर	भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 77/2014

1 अनिता पत्नी भेभाराम
2 कमला पत्नी हेमाराम
समस्त जाति जाटान निवासी आकवा तहसील व जिला सीकर राज.।

अपीलांट

बनाम

1 हरिराम पुत्र सादाराम जाति जाट निवासी आकवा तहसील व जिला सीकर।
2 लक्ष्मी देवी पत्नी सुखदेवसिंह जाति जाट निवासी गोठड़ा भुकरान तहसील व जिला सीकर।
3 सुल्तान सिंह पुत्र सुरजनसिंह
4 गंगाबक्स उर्फ गंगसिंह पुत्र लादूसिंह
5 हेमाराम पुत्र सादाराम
समस्त जाति जाटान निवासी आकवा तहसील व जिला सीकर राज.।
6 तहसीलदार महोदय सीकर।
7 उप पंजीयक सीकर।

रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 27.05.2014 न्यायालय सहायक कलेक्टर द्वितीय सीकर बसिलसिले प्रार्थना पत्र संख्या 59/2012 उनवानी हरिराम बनाम लक्ष्मीदेवी आदि आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम।
अपील अ.धा. 225 राज. टिनेन्सी एक्ट।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

उपस्थिति :

1. श्री लक्ष्मण सिंह, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री सागरमल धायल, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट
3. श्री जसवन्त सिंह, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

–निर्णय–

दिनांकः– 12.9.24

यह अपील विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर द्वितीय सीकर द्वारा मुकदमा नम्बर 59/2012 में पारित निर्णय दिनांक 27.05.2014 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 ने एक प्रार्थना पत्र 212 वाके ग्राम आकवा का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि अपीलान्टान ने विवादित भूमि खसरा नम्बर 530 रकबा 1.16 हैक्टेयर तन ग्राम आकवा के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लक्ष्मीदेवी से जरिये रिजस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय कर पूर्ण प्रतिफल अदा करकें कब्जा प्राप्त किया था तथा वे विवादित आराजी पर बहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज है तथा उनके हक में राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज है। अपीलान्टान की विक्रेता लक्ष्मीदेवी ने भी विवादित आराजी को पूर्व में रिकार्डेड खातेदार से जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय की थी। आवेदक/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 4, 5 को विवादग्रस्त आराजियात के संबंध में किसी किस्म

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिक
सीकर

की कोई खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं है। रिकार्डेड खातेदार काश्तकार के विरूद्ध कानूनन किसी किस्म की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाने योग्य नहीं होते हुये भी विचारण न्यायालय ने अपीलान्टान के विरूद्ध अपने निर्णय दिनांक 27.05.2014 के द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने में कानूनी गलती की है। रेस्पोडेन्टान संख्या 1 हेमाराम ने अपना दावा अनरजिस्टर्ड व अनस्टाम्पड दस्तावेज के आधार पर अपना दावा प्रस्तुत किया है जिसके आधार पर उसे कोई खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं है और न अनरजिस्टर्ड विक्रय पत्र दावे का आधार ही बन सकता है अतः अनरजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर वादी/रेस्पोडेनटान संख्या 1 का दावा कानूनन चलने योग्य नहीं है और जब वादी/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 अपने दावे में अन्तिम रूप से कोई सहायता कानूनन प्राप्त करने का अधिकारी न होने से वह आवेदन अस्थाई निषेधाज्ञा में अंतरिम सहायता प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होते हुये भी विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय जैर अपील के द्वारा उसके पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने में कानूनी गलती की है। अपीलान्टान के हक में विवादित भूमि खसरा नम्बर 530 रकबा 1.16 हैक्टेयर तन ग्राम आकवा की खातेदारी विधिवत अंकित है व खातेदार काश्तकार को अपने खातेदारी की भूमि विक्रय करने का पूर्ण कानूनी अधिकार प्राप्त है कानूनन खातेदार काश्तकार के विरूद्ध भूमि विक्रय से प्रतिबंधित करने का अधिकार नहीं होते हुये भी विचारण न्यायालय ने केवल मात्र विभिन्न न्यायालयों में प्रकरण विचाराधीन होने मात्र व पक्षकारान के मध्य वाद बाहूल्यता बढ़ने व प्रकरण के निस्तारण में जटिलता बढ़ने मात्र के आधार पर अपना निर्णय जैर अपील पारित करने में कानूनी गलती की है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का विवादित भूमि खसरा नम्बर 530 रकबा 1.16 हैक्टेयर तन ग्राम आकवा पर कोई कब्जा नहीं है तथा विवादित आराजी पर अपीलान्टान बहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज है अतः प्रथम दृष्टया मामला अपीलान्टान के पक्ष में है व सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति का सिद्धान्त भी अपीलान्टान के पक्ष में है विचारण न्यायालय ने अपनी मर्जी मुताबिक उक्त तीनों ही सिद्धान्त विरूद्ध कानून रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में मानकर अपना

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

निर्णय जैर अपील पारित करने में कानूनी गलती की है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि प्रार्थी/वादी का वाद मुख्य रूप से खातेदारी अधिकारों की उद्घोषणा करवाने का प्रस्तुत किया गया है तथा प्रार्थना पत्र में वर्णित लिखावट व विक्रय पत्रों एवं नामान्तकरण को चुनौती दी गई है। जो विधि एवं साक्ष्यों का मिश्रित बिन्दु है, जिस पर तनकीयात कायम कर उभयपक्षों से प्राप्त साक्ष्य एवं सबूतों के आधार पर मूलवाद में गुण–अवगुण के आधार पर विवेचन कर अन्तिम निस्तारण किया जावेगा। विवादित आराजी को लेकर उभयपक्षों में विभिन्न न्यायालयों में प्रकरण विचाराधीन रहे हैं। यदि दौराने दावा विवादित आराजीयात का विक्रय एवं अन्तरण हो जाता है तो पक्षकारान के मध्य वाद बाहुल्य बढेगा तथा प्रकरण के निस्तारण में जटिलता उत्पन्न होगी। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से ताफैसला वाद अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी/वादी का वाद मुख्य रूप से खातेदारी अधिकारों की उद्घोषणा करवाने का प्रस्तुत किया गया है तथा प्रार्थना पत्र में वर्णित लिखावट व विक्रय पत्रों एवं नामान्तकरण को चुनौती दी गई है। जो विधि एवं साक्ष्यों का मिश्रित बिन्दु है, जिस पर तनकीयात कायम कर उभयपक्षों से प्राप्त साक्ष्य एवं सबूतों के आधार पर मूलवाद में गुण–अवगुण के आधार पर विवेचन कर अन्तिम निस्तारण किया जावेगा। विवादित आराजी को लेकर उभयपक्षों में विभिन्न न्यायालयों में प्रकरण विचाराधीन रहे हैं। यदि दौराने दावा विवादित आराजीयात का विक्रय एवं अन्तरण हो जाता है तो पक्षकारान के मध्य वाद बाहुल्य बढेगा तथा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

प्रकरण के निस्तारण में जटिलता उत्पन्न होगी। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से ताफैसला वाद अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। हम इमसें कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते है। अतः इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 12.9.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर